⑧

बिहार सरकार
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय
(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०– स्था०1/आ०2–03/2017 128 पटना, दिनांक: 03-05-19

कार्यालय आदेश

श्री श्रीधर पांडेय, तत्कालीन अंचल अधिकारी, सुलतानगंज, भागलपुर संप्रति प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, रधुनाथपुर, सीवान के विरूद्ध विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–136(नि०को०)/रा० दिनांक–15.02.2017 के साथ संलग्न जिला पदाधिकारी, भागलपुर के पत्रांक–2840/रा० दिनांक–27.09.2016 द्वारा समर्पित आरोप पत्र के आलोक में निदेशालय के का०आ०सं०–163 सहपठित ज्ञापांक–735 दिनांक–19.04.2017 द्वारा श्री श्रीधर पांडेय पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी। इस विभागीय कार्यावाही में अपर समाहर्त्ता, भागलपुर को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

2. संचालन पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्त्ता, भागलपुर के पत्रांक–177/रा० दिनांक–15.01.2019 द्वारा श्री श्रीधर पांडेय के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा भेजे गये संचालन–सह–जाँच प्रतिवेदन में मंतव्य दिया गया है कि :–

" (i) आरोपित पदाधिकारी द्वारा सूखा राशन सामग्री व पानी का वितरण विलंब से कर दिया गया है, किन्तु बाढ़ साहाय्य जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में विलंब व लापरवाही का आरोप प्रमाणित होता है।

(ii) बाढ़ के समय नियमित रूप से प्रति दिन मृत व्यक्ति/पशुओं तथा फसल क्षति का आकलन प्रतिवेदन भेजने का स्पष्ट नियम है और इसकी जानकारी आरोपित पदाधिकारी को नहीं होना अत्यंत खेदजनक है। इसलिए यह आरोप प्रमाणित होता है।

(iii) मौखिक साक्ष्य के रूप में बाढ़ प्रभावित परिवारों को निरंतर शिकायत हुए बात को प्रमाणित करते है कि आरोपित पदाधिकारी द्वारा राहत शिविर केन्द्रों का नियमित निरीक्षण करने में उदासीन व लापरवाह है। इसलिए यह आरोप प्रमाणित पाया गया।

3. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम –18 में किये गये प्रावधान के तहत संचालन पदाधिकारी के आरोप प्रमाणित होता है, के प्रतिवेदन पर श्री श्रीधर पांडेय से अभ्यावेदन प्राप्त किया गया। अपने अभ्यावेदन में श्री पांडेय ने यह उल्लेख किया है कि :–

"(i) संचालन पदाधिकारी द्वारा दिया गया मंतव्य बिना किसी आधार के दिया गया है। यह तथ्य से परे है। इस संबंध में उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण से स्पष्ट है कि उनके द्वारा किसी प्रकार का विलंब या लापरवाही नहीं किया गया।

(ii) संचालन पदाधिकारी द्वारा दिया गया मंतव्य पूर्णतः आधारहीन है। इस संदर्भ में उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में स्पष्ट किया गया है कि आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक–2967 दिनांक– 05.06.2016 जो बाढ़ के कारण मृत व्यक्तियों /पशुओं तथा फसल क्षति का प्रतिवेदन भेजने से पूर्व सत्यापन आवश्यक था। सत्यापन के तुरंत वाद प्रतिवेदन प्रेषित किया गया ।

(iii) संचालन पदाधिकारी द्वारा दिया गया मंतव्य तथ्य से परे है। इस संदर्भ में उनके द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण से स्पष्ट है कि उनके अतिरिक्त जिला स्तर से वरीय पदाधिकारी एवं अंचल स्तर से पर्यवेक्षक स्तर के पदाधिकारी हर राहत शिविरों के लिए प्रतिनियुक्त थे। किसी के द्वारा लापरवाही या उदासीनता का लिखित प्रतिवेदन जिला को नहीं समर्पित किया गया।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक से स्पष्ट है कि उनके द्वारा वरीय पदाधिकारियों से प्राप्त आदेश एवं अनुदेशों का अनुपालन ससमय किया गया।"

4. अपने अभ्यावेदन में श्री श्रीधर पांडेय द्वारा वर्णित यह तथ्य कि (i) उनके द्वारा किसी प्रकार का विलम्ब या लापरवाही नहीं किया गया। (ii) बाढ़ के कारण मृत व्यक्तियों/पशुओं तथा फसल क्षति का प्रतिवेदन भेजने से पूर्व सत्यापन आवश्यक था। सत्यापन के तुरंत बाद प्रतिवेदन प्रेषित किया गया। (iii) उनके अतिरिक्त जिला स्तर से वरीय पदाधिकारी एवं अंचल स्तर से पर्यवेक्षक स्तर के पदाधिकारी हर राहत शिविरों के लिए प्रतिनियुक्त थे। किसी के द्वारा लापरवारी या उदासीनता का लिखित प्रतिवेदन जिला को नहीं समर्पित किया गया , को संतोषजनक उत्तर नही माना जा सकता है। क्योंकि बाढ सहाय्य का वितरण इनके द्वारा विलम्ब से किया जाना, बाढ के कारण मृत व्यक्तियों/पशुओं तथा फसल क्षति के आलकन का प्रतिवेदन भेजने के पूर्व सत्यापन करने के संबध में दिये गये निदेश का अनुपालन ससमय नहीं करना, बाढ के अवसर पर राहत शिविरों एवं राहत [illegible] कार्य [illegible] है कि उन्होंने अपनी जिम्मेवारी का [illegible] रूप से [illegible] किया। अतः [illegible] योग्य नहीं है

5. उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री श्रीधर पांडेय पर निंदन के साथ संचयी प्रभाव के बिना तीन वेतन वृद्धि रोकने का दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

6. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री श्रीधर पांडेय, तत्कालीन अंचल अधिकारी, सुलतानगंज, भागलपुर संप्रति प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, रघुनाथपुर प्रखंड, सीवान पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 में किये गये प्रावधानों के तहत निंदन के साथ संचयी प्रभाव के बिना तीन वेतन वृद्धि रोकने का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

ह०/–

(राजेश्वर प्रसाद सिंह)

निदेशक

ज्ञापांक :– स्था०1/आ०2–03/2017 888 पटना, दिनांक : 03-05-19

प्रतिलिपि :–सचिव के आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।

2. विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्राक–136 (नि०को०) /रा० दिनांक–15.02.2017 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. जिला पदाधिकारी, भागलपुर को उनके पत्रांक- 2840/रा० दिनांक–27.09.2016 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. जिला पदाधिकारी, सीवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
5. जिला कोषागार पदाधिकारी, भागलपुर/सीवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
6. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, भागलपुर/सीवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
7. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को निदेशालय के वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
8. श्री श्रीधर पांडेय, तत्कालीन अंचल अधिकारी, सुलतानगंज, भागलपुर संप्रति प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक,रघुनाथपुर,सीवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।